30

माननीय राजस्व मण्डल महोदय म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2017 निगरानी III/निगरानी/मुरैना/भूरा/2017/4581

1—पंचरतन पुत्र रूस्तम सिंह आयु 68 साल

2—नाथूसिंह पुत्र रूस्तम सिंह आयु 65 साल समस्त जाति ठाकुर निवासी गण ग्राम पारथ का पुरा मौजा खडियाहार तह0 अम्वाह जिला मुरैना म0प्र0 ....आवेदकगण

दिनांक 22-11-17 को श्री रागवेन्द्र सिंह तोमर अभि० द्वारा प्रस्तुत। 22-11-17

पे० दि० 23-11-17 23-11-17

बनाम

रामस्वरूप उर्फ स्वरूप पुत्र हरिजीवन आयु 78 साल जाति ठाकुर निवासी ग्राम पारथ का पुरा मौजा खडियाहार तह0 अम्वाह जिला मुरैना म0प्र0 ....अनावेदक

23/11/2017 23/11/17

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय अम्वाह जिला मुरैना द्वारा प्र0क0 41/16—17/अ—27 में पारित दिनांक 10.11.17 के।

श्रीमान जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 के अधीन निम्न प्रकार प्रस्तुत है—

1— यह कि आवेदकगण द्वारा अधी0 न्यायालय में एक आवेदन धारा 178 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 के अधीन अनावेदक व केदार सिंह, परिमाल सिंह व सुखराम सिंह के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम महूरी के खाता क0 37 के सर्वे क0 335 रकवा 0.48 आरे, मे आवेदक गण 1/2 भाग के तथा केदार सिंह,परिमाल सिंह,सुखराम सिंह 1/2 भाग के सहस्वामी है तथा खाता क0 319 के सर्वे क0 293 रकवा 0.28 आरे, सर्वे क0 295 रकवा 0.62 आरे, सर्वे क0 311 रकवा 0.17 आरे, सर्वे क0 322 रकवा 0.20 आरे, सर्वे क0 336 रकवा 0.40 आरे, में आवेदकगण 75/167 भाग के तथा अनावेदक 36/167 भाग व केदार सिंह, परिमाल सिंह, सुखराम सिंह की मा पु0 शांती बेवा ज्ञान सिंह 56/167 भाग के सहस्वामी है।शांती की मृत्यू हो चुकी है जिनके केदार सिंह, परिमाल सिंह, सुखराम सिंह वारिस है। खाता क0 332 के सर्वे

22/11/17

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / मुरैना / भू.रा / 2017 / 4581

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
11-01-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र सिंह तोमर उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 41 / अ–27 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 10.11.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक का मुख्य तर्क यह है कि प्रकरण कमांक 41 / अ–27 / 2016–17 एवं प्रकरण कमांक 37 / अ–27 / 2016–17 एक साथ विचारण न्यायालय में सुनवाई की जावे। विचारण न्यायालय ने धारा 32 का आवेदन यह कहते हुये निरस्त कर दिया गया है कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण के अलावा और पक्षकार है। इसलिये यह धारा 32 का आवेदन प्रकरण में लागू नहीं होता है। 3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण की सर्वे भूमि एवं रकवा एक जैसा है और भूमि का विवाद एक नेचर का है तो विचारण न्यायालय को एक साथ प्रकरण सुनलिये जाने चाहिये। नायब तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 41 / अ–27 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 10.11.17 निरस्त	

करते हुये निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित कर आदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि का सर्वे भूमि एवं रकवा एक जैसा है और भूमि का विवाद एक नेचर का है तो विचारण न्यायालय को एक साथ प्रकरण सुन लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

सदस्य